


हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
प्रकरण संख्या 51/2025
अनवान अनिल कुमार बनाम रविश कुमार

नम्बर व तारीख इहका
जो इस हुकम की तामीर
में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व अप्रार्थी 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता स्वयं हाजिर आये व राजीनामा पेश कर मुताबिक राजीनामा रास्ता स्वीकृति का कथन किया राजीनामा बाद तस्दीक शामिल मिसल है। मुताबिक राजीनामा चक 3 पीटीपी के प.न. 148/ 131 मु.न. 27 किला नं. 15/1 के उतरी दिशा में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर किला नं. 6 से चिपता उक्त किला में दो बिस्वा रास्ता यानि 0.025 है. प.न. 148/130 मु.न. 14 किला नं. 24 के पूर्वी दिशा में दक्षिण से उतर की ओर 0.025 है. रास्ता व इसी किला नं. के उतरी दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर 0.025 है. रास्ता किला नं. 23 के पूर्वी उतरी दिशा के कोने में 0.003 हे. रास्ता, किला नं. 13 व 18 के पूर्वी दिशा में दक्षिण से उतर दिशा की ओर क्रमशः 0.025 है. 0.025 है. रास्ता स्वीकृत किया जाकर गै.मु.दर्ज किये जाने एवं इसके बदले में अप्रार्थी संख्या 1 को चक नं. 3 पीटीपी के खाता संख्या 125/152 प.न. 148/130 मु. न. 8/0.057 है. 9/0.057 है. प.न. 150/131 मु.न. 25 किला नं. 9/2/0.063 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी हद तक प्रार्थी का हिस्सा कम किया जावे व अप्रार्थी संख्या 2,3,4 को चक 3 पीटीपी के खाता संख्या 113/8 मे प.न. 148/130 मु.न. 14 किला नं. 18/0.054 है. 19/0.056 है. 20/0.030 है. 21/0.113 है. उक्त किला की दक्षिण दिशा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी हद तक अप्रार्थी सं. 1 का हिस्सा कम किया जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी व अप्रार्थी 1 ता 4 के मध्य हुआ राजीनामा निर्णय के अभिन्न अंग रहेगें। तहसीलदार राजस्व संगरिया को अलग से पालनार्थ लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक...26-9-25... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया